भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3204
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि

3204. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षो के दौरान देश में वर्ष-वार कैंसर के कितने मामले सूचित हुए है;

(ख) देश में कैंसर के मामलों के तेजी से फैलने के क्या कारण हैं और इसके कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कराए गए किसी अनुसंधान अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियानों, जांच कार्यक्रमों और उपचार सुविधाओं सहित शुरू की गई किन्हीं पहलों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आबंटित निधि सहित देश में कैंसर अनुसंधान की स्थिति कया है, इसमें शामिल अनुसंधान संस्थान कौन-कौन से हैं और इससे कौन-कौन सी सफलता प्राप्त हुई है;

(ड) सरकार द्वारा विशेषकर सीमांत और कम आय वाले लोगों के लिए वहनीय कैंसर उपचार तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में कैंसर के मामलों और मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद - राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, विगत पांच वर्षों में कैंसर की अनुमानित मामलें निम्नवत हैं:

कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या (2020-2024) – स्त्री पुरुष दोनों					
वर्ष	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या	13,92,179	14,26,447	14,61,427	14,96,972	15,33,055

आईसीएमआर ने सूचित किया है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार के अलावा कैंसर का पता लगाने के लिए बेहतर नैदानिक तकनीकों की पहुंच और उपलब्धता ने भारत में कैंसर के अधिक मामलों की संख्या में रजिस्ट्रेशन में योगदान दिया है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार कैंसर सहित राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) की के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत कैंसर के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है, जिसमें आरोग्य कार्यकलापों को बढ़ावा देना और सामुदायिक स्तर पर लक्षित संप्रेषण शामिल है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करके जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाना शामिल है।

केंद्र सरकार एनपी-एनसीडी के तहत विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केंद्रों को मजबूत करने की योजना को लागू करती है। उक्त योजना के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) को मंजूरी दी गई है। झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सभी नए एम्स और उन्नत मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान भी कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(घ): आईसीएमआर अपने केंद्र प्रायोजित शोध परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न कैंसर साइटों (पित्ताशय, स्तन, फेफड़े और मुख कैंसर) में अनुसंधान को वित्तपोषित कर रहा है। आईसीएमआर द्वारा कैंसर अनुसंधान पर खर्च की गई राशि लगभग 115 करोड़ रुपए (2020-21) और 140 करोड़ रुपए (2021-22) थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर), भारत कैंसर अनुसंधान संघ (आईसीआरसी) और उन्नत अनुसंधान एवं उत्कृष्टता केंद्र (सीएआरई) कैंसर में अनुसंधान करते हैं।

वर्ष 2019 में आईसीएमआर-डीएचआर के तत्वावधान में स्थापित आईसीआरसी में छह विषयगत क्षेत्रों में 30 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें उपशामक परिचर्या, चिकित्सा और निदान शामिल हैं। आईसीएमआर चिकित्सीय रणनीतियों और बेहतर रोगी परिणामों के लिए साक्ष्य प्रदान करने के उद्देश्य से यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण करता है। कैंसर के लिए एक नया नैदानिक उपकरण, जिसका शीर्षक है, "फ्लोरोसेंट पॉलीस्टाइरिन आधारित नैनो हाइब्रिड सरणी परिसंचारी कोशिका-मुक्त एमआईआरएस के आकलन के लिए" विकसित किया गया था और एक पेटेंट दायर किया गया था।

(ङ) और (च): सरकारी अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इलाज या तो मुफ्त है या अत्यधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। तथापि, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर दिया जाता है, जो 12.34 करोड़ परिवारों के लिए है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाइयां और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) फ़ार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर कैंसर की दवाइयां उपलब्ध कराना है।

औषधि विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-I में शामिल 131 कैंसर रोधी अनुसूचित योगों की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने चयनित 42 कैंसर रोधी गैर-अनुसूचित योगों के व्यापार मार्जिन की सीमा तय कर दी है।

*****